इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 29.05.2026

- **शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 01 व्यक्ति को घायल करने वाले 02 वांछित अभियुक्त इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 लाइसेंसी पिस्टल 0.32 बोर तथा मूल शस्त्र लाइसेंस बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 29.05.2026 को थाना चौबिया पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मूंज में हर्ष फायरिंग की घटना कारित करने वाले दो वांछित अभियुक्त रैपुरा भट्ठा तिराहा पर ग्राम मूंज की तरफ जाने वाले रोड पर कही जाने की फिराक मे खडे है जिसके पास असलहा भी हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा 02 व्यक्तियों को रैपुरा भट्ठा तिराहा पर ग्राम मूंज की तरफ जाने वाले रोड से पकड लिया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पकडे गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो अभियुक्तगण अंशुल पुत्र कमलेश तथा रमन कुमार पुत्र स्व0 मान सिंह के कब्जे से 01 पिस्टल 0.32 बोर तथा 01 पिस्टल का लाइसेन्स बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तगण ने स्वीकार किया कि दिनांक 07.05.2026 को थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत एक शादी समारोह में पिस्टल से हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसमें गौरव कुमार के दाहिने हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. रमन कुमार पुत्र स्व0 मान सिंह निवासी ग्राम मूंज थाना चौबिया जनपद इटावा उम्र 39 वर्ष।
2. अंशुल पुत्र कमलेश निवासी ग्राम कंचन पार्क थाना लोनी देहात जिला गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 70/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 01 लाइसेंसी पिस्टल 0.32 बोर
2. 01 मूल शस्त्र लाइसेंस

पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष चौबिया श्री महेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री पीर मुहम्मद, का0 रामऔतार, का0 अंकित कुमार